निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 572) पटना, शुक्रवार, 8 जुलाई 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

9 जून 2016

सं0 22/नि0सि0(पट0)–03–04/2011/1062—श्री राम विलास चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत जब मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना के पद पर पदस्थापित थे तब उनके विरूद्व निम्नलिखित आरोपों के लिए आरोप पत्र प्रपत्र–''क'' गठित कर विभागीय संकल्प सं0–826 दिनांक 24.07.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयीः–

आरोप–1 माननीय मुख्यमंत्री के दिनांक 27.12.11 को जल पथ प्रमण्डल, बिहारशरीफ अन्तर्गत पंचाने नदी पर निर्मित वीयर के निरीक्षण के क्रम में आपके द्वारा बताया गया कि वीयर क्रेस्ट लेवेल उचा करने एवं दायॅा नहर एवं तीन वितरणियों के डिसिन्टिंग कार्य का प्रस्ताव कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, बिहारशरीफ से प्राप्त हुआ है जिसे आपके द्वारा मुख्यालय को स्वीकृति हेतु भेजा गया है तथा विभागीय स्वीकृति अभी तक लंबित है। जबकि जॅाच में पाया गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव आपके द्वारा मुख्यालय को नहीं भेजा गया है। इस मामले में समर्पित स्पष्टीकरण में भी आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को गलत सूचना दिये जाने से इनकार किया गया है जबकि स्थल निरीक्षण के दौरान मौजूद कई उच्चाधिकारियों के द्वारा आपके द्वारा उक्त कार्य के संबंध में भ्रामक सूचना दिये जाने की सम्पुष्टि की गयी है।

अतः आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को भ्रामक सूचना देते हुए गुमराह करने का कार्य किया गया जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के तहत गंभीर कदाचार के श्रेणी में आता है एवं इसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये है।

आरोप सं0–2:– दिनांक 21.01.11 को पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, अनीसाबाद, पटना के लिफ्ट के सप्लाई से संबंधित प्रकाशित कोटेशन आमंत्रण सूचना में एक सप्ताह से भी कम समय दिया गया जबकि अल्पकालीन या आकस्मिक निविदा/कोटेशन आमंत्रण में भी कम से कम एक सप्ताह का समय दिये जाने का प्रावधन बिहार लोक निर्माण संहिता में उद्वत है।

आरोप सं0–3:– तीन कोटेशनदाताओं के द्वारा समर्पित अभिलेखों में त्रुटियॅा पायी गयी परन्तु आपके द्वारा केवल मे0 अम्बा तिरूपति जेनेटिक इंजिनियरिंग प्रा0 लि0, पटना के तकनीकी बीड को ही अमान्य किया गया तथा शेष दो अद्द कोटेशनदाताओं के कोटेशन को मान्य करार दिया गया।

आरोप सं0–4:– कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0–13/2010–11 के कंडिका–3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कोटेशनदाताओं को अपने कोटेशन के साथ निबंधन से संबंधित अभिलेख संलग्न करने का निदेश संसूचित

नहीं था। परन्तु आपके द्वारा मे0 अम्बा तिरूपति जेनेटिक इंजिनियरिंग प्रा0 लि0, पटना के तकनीकी बीड को निबंधन से संबंधित अभिलेख संलग्न नहीं रहने के कारण अमान्य कर दिया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान श्री चौधरी दिनांक 31.08.13 को सेवानिवृत हो गये। फलतः विभागीय आदेश सं0–149 सह पठित ज्ञापांक 1268 दिनांक 09.10.13 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी (विभागीय जॉच आयुक्त) से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया की संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं0–1 एवं 4 को प्रमाणित तथा आरोप सं0–2 एवं 3 को अप्रमाणित पाया गया है। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 1658 दिनांक 23.07.15 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षा में पाया गया की श्री चौधरी द्वारा आरोप सं0–1 के संबंध में कहा गया है कि ''माननीय मुख्यमंत्री को जब कार्यपालक अभियन्ता के स्तर के पदाधिकारी एवं कार्य से संबद्व पदाधिकारी द्वारा जवाब दिया जा रहा था तो ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा हस्तक्षेप किया जाना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं था''। श्री चौधरी के उक्त कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब मुख्यमंत्री को कनीय पदाधिकारी (कार्यपालक अभियन्ता) द्वारा गलत सूचना दिया जा रहा था तो वरीय पदाधिकारी होने के नाते श्री चौधरी को सही सूचना माननीय मुख्यमंत्री को देनी चाहिए थी।

जहॉ तक गबाह पेश किये जाने का प्रश्न है, तत्कालीन प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की यह टिप्पणी ''मैं भी अवगत हूँ कि इन पदाधिकारियों ने झुठा बयान दिया था, किन्तु अब यह साफ नकार रहे है'' स्वतः अपने आप में गवाह एवं साक्ष्य है जो आरोप को संपुष्ट करता है।

आरोप सं0–4 के संबंध में श्री चौधरी द्वारा कहा गया है कि निविदादाता को निबंधित होने के बावहजद उसके सत्यापन हेतु निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है। उनका यह भी कहना है कि निविदा आमंत्रण सूचना के Term & Conditions के पारा सं0–10 में उद्वत "Company must be registered under Company Act." से स्पष्ट है कि निबंधित होने से संबंधित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतू संलग्न किया जाना आवश्यक है। मे0 अम्बा तिरूपति जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रा0 लि0, पटना द्वारा निबंधन संबंधी कागजात संलग्न नहीं किये जाने के कारण निविदा अमान्य का निर्णय निविदा समिति, जिसका अध्यक्ष वो स्वयं है, द्वारा लिया गया निर्णय सही है।

श्री चौधरी के इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि Company Act में निबंधित होना एक महत्वपूर्ण शर्त है जिसका उल्लेख Term & Conditions में आवश्यक है। परन्तु तकनीकी बीड के साथ वर्णित पत्र मात्र संलग्न करने की जो अपेक्षा है, यह उचित नहीं है। अतः श्री चौधरी के विरूद्व आरोप सं0–4 प्रमाणित होता है।

अतः उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री चौधरी के विरूद्व निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गयाः–

(1) 15% पेंशन राशि की कटौती 05 (पॉच) वर्षो के लिए।

उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने अपने पत्रांक 556 दिनांक 20.05.16 द्वारा उक्त दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है।

उक्त निर्णय/सहमति के आलोक में श्री राम विलास चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

(1) 15% पेंशन राशि की कटौती 05 (पॉच) वर्षो के लिए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 572-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in